

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता जाता है की प्लास्टिक कैरी बैग और दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले अन्य प्लास्टिक आइटम अल्पावधि और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं;

यह प्राधिकरण के ज्ञान में आया है कि, 'कैरी एंड थ्रो प्लास्टिक', जैसे प्लास्टिक कैरी बैग, खाद्य आवरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक लेपित चाय के कप, पानी के पाउच और पैकेट, प्लास्टिक के तिनके, एकल उपयोग प्लास्टिक मानव और साथ ही पौधों और जानवरों के बीच गंभीर पर्यावरणीय खतरों और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है।

ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश शासन और नोएडा सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन व 50 माइक्रोन से कम मोटाई के साथ और 50 माइक्रोन या इससे अधिक (प्लास्टिक के कप, ग्लास, प्लेट्स, चम्मच, गिलास, प्लास्टिक या थर्मोकोल और सभी प्रकार के डिस्पोजेबल प्लास्टिक कैरी बैग आदि) के निपटान कैरी बैग में निर्माता का नाम और पंजीकरण संख्या नहीं होने पर उसके आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी करने का निर्णय लिया था।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6 ए, 7, 12 और 13 ए के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित रूप से न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिकृत क्षेत्र में लागू होगा।

दिशा-निर्देश :

1. 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध और 50 माइक्रोन या इससे अधिक के निपटान कैरी बैग में निर्माता का नाम और पंजीकरण संख्या नहीं होने पर इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रभाव पड़ेगा।
2. एक बार उपयोग के बाद प्लास्टिक या थर्मोकोल से बने कप, ग्लास, प्लेट, चम्मच, गिलास आदि का उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध।
3. सभी प्रकार के डिस्पोजेबल प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध।
4. किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में, निम्नलिखित दंड लागू होंगे:

क्रमांक (क)	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलिथीन कैरी-बैग, प्लास्टिक और थर्मोकॉल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रूपयों में
1.	100 ग्राम तक	1,000
2.	101 ग्राम – 500 ग्राम	2,000
3.	501 ग्राम – 1 किलोग्राम	5,000
4.	1 किलोग्राम - 5 किलोग्राम	10,000
5.	5 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	परिसर के भीतर और सड़कों, गलियों, नालियों, नदियों आदि के भीतर किसी भी संस्थान / वाणिज्यिक संस्थान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / शैक्षिक संस्थानों / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्टोरेंट्स / मिठाई की दुकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़को, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, सभी सार्वजनिक स्थान आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाना।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थानों / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्टोरेंट्स / मिठाई की दुकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि और सड़को, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और सभी सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाना।	1,000

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा